इस्लाम प्रश्न और उत्तर

जनरल पर्यवेक्षक : शैख मुहम्मद सालेह अल-मुनज्जिद

13937 - क्या वह अपने क़र्जदार मामा को अपनी जकात दे सकता है और क्या उन्हें इसके बारे में बताना चाहिए?

प्रश्न

मेरे पास बैंक में कुछ बचत है और उसकी ज़कात निकालने का समय आ गया है। मेरे एक मामा हैं जो क़र्ज़दार हैं और वह अपना क़र्ज़ नहीं चुका सकते। तो क्या मेरे लिए उन्हें अपनी ज़कात देना जायज़ है, ताकि वह अपना क़र्ज़ चुका सकें? क्या मैं उन्हें ज़कात दे सकता हूँ?

दूसरी बात : क्या मेरे लिए यह जायज़ है कि मैं उन्हें यह बताए बिना ज़कात दे दूँ कि यह पैसा ज़कात का है?

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।.

अगर आपके मामा इतने ग़रीब हैं कि वह ज़कात के हक़दार हैं, तो आपके उन्हें अपने धन की ज़कात, या उसका कुछ भाग देने में कोई हर्ज नहीं है। तथा यह आवश्यक नहीं है कि आप उन्हें इसके बारे में बताएँ, सिवाय इसके कि आप उनकी स्थिति के बारे में अच्छी तरह से न जानते हों। तो ऐसी स्थिति में आपको उन्हें बताना चाहिए कि यह ज़कात है, ताकि अगर वह इसके हक़दार न हों, तो वह इससे दूर रहें।